

24-05-2015

सेवा मे,

श्रीमान प्रभारी अधिकारी (जनसूचना विभाग),  
पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि०  
सौदामिनी, प्लॉट सं० 02, सेक्टर 29,  
गुडगांव, हरियाणा-122002 ।

विषय : "सूचना का अधिकार अधिनियम २००५" के द्वारा पावरग्रिड कारपोरेशन  
आफ इंडिया लि०की केन्द्रिय कार्यालय पदोन्नती आदेश सं० 52/2014 के विषय में  
सूचना ।

श्रीमान,

कृपया "सूचना के अधिकार अधिनियम २००५" के अनुसार निम्न सूचना  
उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

1. सीपीसी/डीपीसी के अन्तर्गत पदोन्नती हेतु पात्रता के लिए न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता क्या होती है?
2. उपरोक्त वर्णित (S4/SG to E1) पदोन्नती आदेश सं० 52/2014 के क्रमांक 09 पर कर्मचारी संख्या 10444 की सीपीसी/डीपीसी के गठन के समय शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता क्या थी ?
3. क्या कर्मचारी संख्या 10444 की सीपीसी/डीपीसी के गठन के समय शैक्षणिक /तकनिकी योग्यता अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लेमा/स्नातक थी अथवा नहीं?
4. क्या कर्मचारी संख्या 10444की(S4/SG to E1) पदोन्नती उपरोक्त मानको के अन्तर्गत थी ?
5. सीपीसी/डीपीसी के अन्तर्गत (S4/SG to E1) पदोन्नती हेतु कारपोरेशन की पॉलिसी/ गार्डलाइन्स की कॉपी उपलब्ध करें ?

श्रीमानजी, आवेदन हेतु देय शुल्क रु०90.00 के पोस्टल आर्डर के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ भेजा जा रहा है ।

*Ankita Singh*  
प्रार्थी

Ankita Singh c/o Nand kishore sharma  
E-54, Sector 22,  
Noida - 201301